न्यायालयः– न्यायिक मजिस्ट्रेट, नीम का थाना जिला सीकर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः	राकेश शर्मा **(आर.जे.एस.)**
नियमित आपराधिक प्रकरण संख्या–	376/2015
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या	143/2015
सीआईएस संख्या	1319/2015
सीएनआर संख्या	RJSK070026652015

राजस्थान राज्य **ब ना म** **सीताराम वगैरह**

आरोप अन्तर्गत धारा 498 ए, 406 भा.दं.सं.

भाग प्रथम

क

परिवादी	मन्जू गुर्जर पत्नी सीताराम पुत्री रामोतार निवासी नांगली भरगडावाली थाना गुढ़ा तहसील उदयपुरवाटी जिला झूंझुनूं हाल निवासी जीलो तहसील नीमकाथाना जिला सीकर
प्रस्तुतकर्ता	लोक अभियोजक जरिए राज्य सरकार
अभियुक्तगण का नाम व पता	1. सीताराम पुत्र श्री अमरसिंह उर्फ अमराराम निवासी नंगली दीपसिंह तन मैनपुरा पीएस गुढ़ा गौड़जी जिला झूंझुनूं, 2. अमरसिंह उर्फ अमराराम पुत्र श्री मालाराम निवासी नंगली दीपसिंह तन मैनपुरा पीएस गुढ़ा गौड़जी जिला झूंझुनूं, 3. हरकोरी पत्नी अमरसिंह उर्फ अमराराम निवासी नंगली दीपसिंह तन मैनपुरा पीएस गुढ़ा गौड़जी जिला झूंझुनूं, 4. कमलादेवी पत्नी गोरधनलाल निवासी नंगली निर्माण तन केड पीएस गुढ़ा गौड़जी जिला झूंझुनूं, 5. बन्शीलाल पुत्र मालाराम निवासी नंगली गुजरान पीएस गुढा गौड़जी जिला झूंझुनूं
अधिवक्ता अभियुक्तगण	श्री अड़ीसाल मीणा, श्री सत्यनारायण यादव

ख

क्रम संख्या	चरण	दिनांक
1.	प्रकरण संस्थित हुआ	10.12.2015
2.	आरोप विरचित किए गए	02.02.2019

3.	साक्ष्य अभियोजन खोली गयी	02.02.2019
4.	अभियोजन साक्ष्य समाप्त की गयी	20.12.2024
5.	परिक्षण अंतर्गत धारा 313 सीआरपीसी	20.12.2024
6.	साक्ष्य सफाई पेश की गयी	–
7.	बहस अंतिम सुनी गयी	21.12.2024
8.	निर्णय की दिनांक	21.12.2024
9.	विचारण में लगा समय	करीब 10 वर्ष

<u>ग</u>
<u>अभियुक्त का विवरण</u>

क्र. सं.	अभियुक्त का नाम	गिरफतारी की तिथि	जमानत पर छोडे जाने की तिथि	अभियुक्त पर आरोप का विवरण	दोषसिद्धि या दोषमुक्त	दिये गये दण्ड का विवरण (यदि कोई हो तो)	धारा 428 दं.प्र.सं. के परिप्रेक्ष्य हेतु अवधि
1	सीताराम	26.11.15	27.11.15	498 ए, 406 भा.दं.सं.	दोषमुक्त	शून्य	शून्य
2	अमरसिंह उर्फ अमराराम	आत्मसमर्पण दि. 12.12.15	12.12.15	498 ए, 406 भा.दं.सं.	दोषमुक्त	शून्य	शून्य
3	हरकोरी	02.12.15	02.12.15	498 ए, 406 भा.दं.सं.	दोषमुक्त	शून्य	शून्य
4	कमलादेवी	02.12.15	02.12.15	498 ए, 406 भा.दं.सं.	दोषमुक्त	शून्य	शून्य
5	बन्शीलाल	02.12.15	02.12.15	498 ए, 406 भा.दं.सं.	दोषमुक्त	शून्य	शून्य

<u>भाग द्वितीय</u>
<u>अभियोजन</u> / <u>बचाव</u> / <u>न्यायालय गवाहान की सूची</u>
<u>अ -अभियोजन गवाह</u>

रैंक	साक्षी का नाम	साक्ष्य का प्रकार (चश्मदीद गवाह,पुलिस गवाह,विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सकीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)

पी.डब्लयू–1	श्रीमती मन्जू देवी	परिवादिया
पीडब्ल्यू 2	रामोतार	अन्य गवाह
पीडब्ल्यू 3	विमला	अन्य गवाह

ब – बचाव पक्ष

रैंक	साक्षी का नाम	साक्ष्य का प्रकार (चश्मदीद गवाह,पुलिस गवाह,विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सकीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)

स – न्यायालय गवाह

रैंक	साक्षी का नाम	साक्ष्य का प्रकार (चश्मदीद गवाह,पुलिस गवाह,विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सकीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)

अभियोजन / बचाव / न्यायालय प्रदर्श

अ – अभियोजन प्रदर्श

प्रदर्श का क्रम	प्रदर्श संख्या	प्रदर्श का विवरण
1	प्रदर्श पी 1	परिवाद
2	प्रदर्श पी 2	फर्द जब्ती व दहेज सुपुर्दगी
3	प्रदर्श पी 3	विवाह निमंत्रण पत्र
4	प्रदर्श पी 4	बयान धारा 161 दं.प्र.सं. श्रीमती मन्जू देवी
5	प्रदर्श पी 5	बयान धारा 161 दं.प्र.सं. रामोतार
6	प्रदर्श पी 6	बयान धारा 161 दं.प्र.सं. विमला

ब- बचाव प्रदर्श

प्रदर्श का क्रम	प्रदर्श संख्या	प्रदर्श का विवरण

स- न्यायालय प्रदर्श

प्रदर्श का क्रम	प्रदर्श संख्या	प्रदर्श का विवरण

<u>नि र्ण य</u> दिनांकः21.12.2024

1– प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि परिवादिया श्रीमती मन्जू गुर्जर द्वारा एक परिवाद पत्र अंतर्गत धारा 156(3) दं.प्र.सं. न्यायालय के समक्ष इस आशय का पेश किया गया कि परिवादिया का विवाह दिनांक 29.04.2013 को सीताराम के साथ हिंदू रिति रिवाजों के साथ हुआ था। परिवादिया के माता पिता द्वारा उसके विवाह में अपनी हैसियत से अधिक दान दहेज दिया। जिसमें सोने चांदी के आभूषण, नकद रुपए, घरेलू सामान व इलेक्ट्रॉनिक सामान आदि दिया। विवाह के पश्चात् जब वह ससुराल गयी तो उसके ससुराल वालों ने उसे उलाहना दिया कि तुम्हारे पिता ने हमारी हैसियत अनुसार विवाह नहीं किया। इसके पश्चात् उसे दहेज में चौपहिया वाहन व 5 लाख रुपए लाने के लिए मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने लगे तथा वर्ष 2014 से परिवादिया को घर से निकाल दिया, अब वह अपने पिता के साथ अपने पीहर रहती है आदि पर न्यायालय द्वारा परिवादिया का परिवाद संबंधित थानाधिकारी को वास्ते अनुसंधान प्रेषित किया गया। जिस पर संबंधित थानाधिकारी पुलिस थाना पाटन में मुकदमा नंबर 143/2015 धारा 498ए, 406, भा.दं.सं. में कायम कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। बाद अनुसंधान अभियुक्तगण सीताराम, अमरसिंह उर्फ अमराराम, हरकोरी, कमला देवी व बंशी के विरुद्ध धारा 498ए, 406 भा.दं.सं. के तहत न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया।

2. अभियुक्तगण को धारा 498ए, 406 भा.दं.सं. के आरोप पृथक से विरचित कर सुनाए व समझाए गए तो सुन समझकर अभियुक्तगण ने आरोपों से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही।

3. अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण को साबित करने के लिए पृष्ठ संख्या 2 व 3 पर भाग द्वितीय में वर्णित गवाहों के बयान करवाए व दस्तावेजात प्रदर्शित करवाएं ।

4. दिनांक 04.12.2024 को प्रकरण में परिवादीया एवं अभियुक्तगण ने बाद अनुमति अपराध अन्तर्गत धारा 406 भा.द.सं. के अपराध में राजीनामा पेश किया। धारा 406 भा.दं.सं. शमनीय होने से धारा 406 भा.दं.सं. में राजीनामा तस्दीक किया गया। ऐसी स्थिति में अब अभियुक्तगण के विरूद्व धारा 498ए भा०द०सं० के अपराध की अन्वीक्षा शेष रही।

5. अभियुक्तगण का परीक्षण धारा–313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत किया गया तो अभियुक्तगण ने गवाहान के बयानों को गलत होना बताया तथा साक्ष्य सफाई पेश नहीं करना चाहा, निर्दोष है का कथन किया है।

6. बहस अंतिम सुनी गयी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य का ध्यान पूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। दौराने बहस अंतिम अभियोजन अधिकारी द्वारा अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप संदेह से परे साबित होने के आधार पर अभियुक्तगण को युक्तियुक्त दंड से दंडित किए जाने का निवेदन किया गया।

7. अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा दौराने बहस अंतिम प्रमुख रूप से कथन किए गए कि प्रकरण में मुख्य गवाह सहित समस्त गवाहान पक्षद्रोही घोषित हुए हैं तथा सभी गवाहान द्वारा

दहेज हेतु मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने से स्पष्ट इंकार किया है। अंत में अभियुक्तगण अधिवक्ता द्वारा अभियुक्तगण को दोषमुक्त किए जाने का निवेदन किया गया है।

8. हस्तगत प्रकरण में अभियोजन पक्ष को संदेह से परे सिद्ध करना है किः

(1) "क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 29.04.2013 को परिवादिया मंजू गुर्जर का विवाह सीताराम के साथ होने के उपरांत स्थान ढाणी ग्राम नांगली भरगडावाली पीएस गुढ़ा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं व ग्राम जीलो में परिवादिया को दहेज में बोलेरो गाड़ी व पांच लाख रुपए की अनुचित मांग के अनुक्रम में शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर उसके साथ क्रूरता कारित की ?

– यदि हां, तो उचित दण्ड क्या हो ?

9. अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे साबित करने का भार अभियोजन पक्ष पर है। इस संबंध में पत्रावली पर अभियोजन पक्ष द्वारा कुल 3 गवाह परिक्षित करवाए गए हैं।

10. प्रकरण में धारा 406 भा.दं.सं. के अपराध के संबंध में राजीनामा हो जाने से राजीनामा तस्दीक किया जा चुका है। अतः धारा 498 ए भा.दं.सं. की हद तक ही प्रकरण को देखा जाना है। विचारणीय बिन्दु के संबंध में अभियोजन की ओर से कुल 3 गवाह को परीक्षित करवाया है, जिनकी साक्ष्य का अवलोकन करे, तो गवाह पी.ड. 1 मन्जू देवी प्रकरण की परिवादीया एवं अभियुक्त सीताराम की विवाहिता पत्नी है, जिसे अभियोजन ने पक्षद्रोही घोषित किया है। इस गवाह ने अपने मुख्य परीक्षण में मुख्य रुप से घरेलू वैचारिक मतभेद को लेकर अपने व अपने पति के मध्य मनमुटाव हो जाने के कारण नाराज होकर अपने पीहर आ जाना और अपने पति के विरूद्ध परिवाद पेश करना बताया है। गवाह ने उसके पति सीताराम व उसके ससुरालवालों के द्वारा स्वयं के साथ दहेज की मांग व मारपीट नहीं करना बताया है। अभियोजन की जिरह में पुलिस बयान प्रदर्श पी 4 का सी से डी भाग गलत होना बताया तथा अन्य समस्त गवाह गवाह पी.ड. 2 रामोतार जो कि परिवादिया मंजू का पिता है व गवाह पीडब्ल्यू 3 विमला जो कि परिवादिया की माता है भी परिवादिया के उक्त बयानों की ताईद करते हैं तथा गवाहान ने परिवादिया को उसके पति व ससुराल पक्ष द्वारा दहेज के लिए प्रताड़ित किए जाने से मना किया है तथा सभी गवाहान घरेलू वैचारिक मतभेद को लेकर मनमुटाव होने का कथन करते है तथा उक्त सभी समस्त गवाहान भी पक्षद्रोही घोषित हुए हैं।

11. इस प्रकार अभियोजन की ओर से परीक्षित गवाहान की साक्ष्य से अभियुक्तगण के द्वारा विवाह के पश्चात से परिवादीया को दहेज की मांग को लेकर शारीरिक व मानसिक रुप से मारपीट कर क्रूरता कारित की हो, यह नहीं बताया है। गवाहान के द्वारा घरेलू वैचारिक मतभेद की बातों को लेकर अभियुक्तगण के विरूद्ध परिवाद दर्ज करवाना बताया है। प्रकरण पक्षकारान के मध्य धारा 406 भा.दं.सं. में राजीनामा हो चुका है तथा धारा 498 ए भा.दं.सं. के संबंध में कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं होने से, अभियोजन पक्ष युक्तियुक्त संदेह से परे यह साबित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण ने दिनांक 29.04.2013 को परिवादिया मंजू गुर्जर का विवाह सीताराम के साथ होने के उपरांत स्थान ढाणी ग्राम नांगली भरगडावाली पीएस गुढ़ा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं व ग्राम जीलो में परिवादिया को

दहेज में बोलेरो गाड़ी व पांच लाख रुपए की अनुचित मांग के अनुक्रम में शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर उसके साथ क्रूरता कारित की हो। अतः अभियुक्तगण को अपराध अन्तर्गत धारा 498ए भा.दं.सं. के आरोप में साक्ष्य अभाव में दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

12. ऐसी स्थिति में अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण पर आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 498ए भा.दं.सं. को संदेह से परे साबित करने में पूर्णतः असमर्थ रहा है। अतः अभियुक्तगण सीताराम, अमरसिंह उर्फ अमराराम, हरकोरी, कमला देवी व बंशी अपराध अंतर्गत धारा 498ए भा.दं.सं. से संदेह से परे साबित नहीं होने के कारण दोषमुक्त किए जाने योग्य है।

:ः आदेश:ः

13. एतद्द्वारा अभियुक्तगण 1. सीताराम पुत्र श्री अमरसिंह उर्फ अमराराम निवासी नंगली दीपसिंह तन मैनपुरा पीएस गुढ़ा गौड़जी जिला झूंझुनूं, 2. अमरसिंह उर्फ अमराराम पुत्र श्री मालाराम निवासी नंगली दीपसिंह तन मैनपुरा पीएस गुढ़ा गौड़जी जिला झूंझुनूं, 3. हरकोरी पत्नी अमरसिंह उर्फ अमराराम निवासी नंगली दीपसिंह तन मैनपुरा पीएस गुढ़ा गौड़जी जिला झूंझुनूं, 4. कमलादेवी पत्नी गोरधनलाल निवासी नंगली निर्माण तन केड पीएस गुढ़ा गौड़जी जिला झूंझुनूं, 5. बन्शीलाल पुत्र मालाराम निवासी नंगली गुजरान पीएस गुढा गौड़जी जिला झूंझुनूं को अपराध अंतर्गत धारा 406 भा.दं.सं. के अपराध से बरुए राजीनामा तथा अपराध अंतर्गत धारा 498ए भा.दं.सं. से संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

14. अभियुक्तगण के उपस्थिति बाबत पूर्व के प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं। साथ ही अभियुक्तगण को आदेश दिया जाता है कि वे धारा 437–ए दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत 10,000/– रुपए का जमानत व इसी कदर राशि का मुचलका इस आशय का पेश करे कि वे इस निर्णय के विरुद्ध अपील होने की सूरत में अपीलीय न्यायालय में उपस्थित हो जाएंगे।

15. प्रकरण में परिवादिया मन्जू देवी का स्त्रीधन फर्द सुपुर्दगी एवं जप्ती प्रदर्श पी 2 में वर्णितानुसार दिनांक 26.11.2015 को थानाधिकारी पीएस पाटन द्वारा उसे सुपुर्द किया जा चुका है।

(राकेश शर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
नीमकाथाना

निर्णय आज दिनांक 21.12.2024 को लिखाया जाकर, बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश शर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
नीमकाथाना